My charge against the Central Government is this. Will the Government of India utilise the thermal power for the development of the State of Tripura? The mam thing is, to utilise the power for the People of Tripura.

The argument for Bhifting the thermal power project from Rokhia to Cachar by the Planning Commission is nothing but to deprive it to the people of Tripura. The question bT infrastructure and communication is there. Who is responsible for this? It is the responsibility of this'Xlov-ernment which runs the country from Delhi

Before I conclude, Sir, I quote from "The Statesman" of the 30th November. It states:

"A section of the ruling Congress (I) in the State blamed the Union Minister of State for Home, Mr. Santosh Mohan Dev, for the mov<sub>e</sub> to shift the project."

In this connection, I urge upon the Government for a statement in this regard.

Thank you very much.

Need to make the Industrial Laws Applicable to the Indian Airlines

श्वी रजनी रंजन साह (विहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से इंडियन एग्रर लाइंस के हवाई जहाजों से सफर करने वालों की यातानग्रों की ग्रोर ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हं !

वैसे तो इंडियन एयर लाइंस और एघर इंडिया के कार्यकलाप पर इस सदन में बहस हो चुकी है और कई बार ऐसे प्रश्न भी उठाए गए हैं पर स्थिति ज़हां की तहां है । उपसभाध्यक्ष महोदय, दो बार जिन यातनाओं से मुझे स्वयं गुजरना पड़ा मैं सदन को अवगत कराना चाहंगा कि 3 दिसम्बर को मैं 409 से, जो पटना, रांची, कलकत्ता जाता है, पटना जा रहा था । लखनऊ में हवाई जहाज काफी लम्ब भरसे तक रुका रहा । पता चला कि पायलट ने लखनऊ में जाकर कहा कि वह रांची नहीं जाएगा, जो सबंधा अनुचित था क्योंकि यदि जहाज को रांची नहीं जाना था तो वह पटना में जाकर कह सकता था श्रीर पटना से जो भी याती रांची जाने वाले हैं वह चले जा सकते थे बाई बस या ट्रेन से जा सकते थे । लेकिन, लखनऊ में यह कहना सवंधा अनुचित था जिससे लोगों को काफी यातनाओं से गुजरना पड़ा ।

दूसरी वात, मैं सदन का व्यान उन ग्रसलियत की ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हं जिससे उत्पन्न हुई विकट समस्या का समाधान हो सके । दूसरा उदाहरण, 15 दिसम्बर को पटना हवाई झड़े से विमान पर सफर करने वाले यान्नियों की दुदेशा देखने वाली थी। एक विमान के पायलट ने हवाई श्रङ्के पर ग्रद्यता के ग्राधार पर भोवर फ्लाई कर दिया तो दूसरी फ्लाइट के पायलट ने दश्यता रहने के बावजद ग्रोवर फ्लाई कर दिया । यहां देश में सभी व्यक्तियों का उत्तर दायित्व है पर चुंकि पायलट को नेशनल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल द्वारा फैक्ट्री और इन्डस्ट्रीज एक्ट के मताबिक "वर्कमैन" में वर्गीकृत कर दिया गया है ग्रतः इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को इनकी मांगों के प्रति विमुख होने के बावजुद उनके पास और कोई चारा नहीं है और उनकी मांगों को मानना पड़ता है। यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं है कि जैसा कि मुझे जानकारी है, पायलट्स को उन्हें अधिक से भ्रधिक शायद 15 हजार रुपए महीना वेतन दिये जाते हैं और औसतन 65 घंटे ये फ्लाइंग करते हैं ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि फैक्ट्री आरे इन्डस्ट्री एक्ट में कुछ और सुधार लाया जाए जिससे कि पायलट ढारा बनाई गई कुब्यवस्था को कानून में लाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके । धन्यवाद ।